न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	जीसीएमएस नंबर 2023 / 84 मैन्युअल नंबर 07 / 2023
रजु दिनांकः	:–	27.09.2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट

(अपीलांट)

बनाम

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी घनश्याम
2. श्रीमती पप्पी देवी पत्नी हरकेश
3. श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी भजन ग्राम मटलाना तह0 लालसोट जिला दौसा

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः– 01. अपीलांट की ओर से : पैरोकार सरकार
02. रेस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 की ओर से : श्री देवी सिंह चौहान एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 25/2/26

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 23.06.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम मटलाना तहसील लालसोट के ख0नं0 216 / 183 रकबा 3.00 व 218 / 183 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा मुताविक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रेस्पो0 1 लगा0 3 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त शामलाती खातेदारी में से श्रीमती शान्ति देवी पत्नी घनश्याम कोली नि0 मटलाना द्वारा दिनांक 25.05.2017 को ख0नं0 216 / 83 रकबा 3.00 बीघा में से अकृषि प्रयोजनार्थ (संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत 2278 वर्ग मीटर का आवासीय हेतु रूपान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार उक्त भूमि सह खातेदारी की में है। तकास्मा नहीं हुआ है किन्तु सहवन से प्रार्थी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी घनश्याम कोली को डी.एल.सी. की 5 प्रतिशत की मालियत पर 11400रूपये राजकोष में जमा कराने पर संपरिवर्तन आदेश जारी कर दिया गया जो अवैधानिक है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.06.2017 से संबंधित मूल पत्रावली पेश कर तहसीलदार लालसोट का आदेश दिनांक 23.06.2017 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलवी की गई। रेस्पो0 सं0 1 लगा0 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब अपील इस आशय का पेश किया गया है कि तथाकथित भूमि का रूपांतरण हो चुका है तथा बाद रूपान्तरण उक्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पो0 सं0 1 शांति

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

देवी द्वारा रेस्पो0 सं0 2 श्रीमती पप्पी देवी व रेस्पो0 सं0 3 श्रीमती ग्यारसी देवी की सहमति से क्रेता काली देवी पत्नी गोरधन, लाली पत्नी हरकेश, सम्पत्ति पत्नी भरत लाल, रामपति देवी पत्नी हीरालाल जाति मीना निवासी मटलाना तहसील लालसोट के हक में हो चुका है। उक्त भूमि के रूपांतरण में भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 की भी सहमति थी चूंकि उक्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हो चुका है। अतः उक्त प्रकरण को अब सुनवाई का अधिकार क्षेत्र श्रीमान को प्राप्त नही है तथा उक्त प्रकरण में क्रेतागण को पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त भूमि का रूपांतरण नियमानुसार किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। इस प्रकार कथनांकित करते हुए रेस्पो0 सं0 1 लगा0 3 द्वारा अपील को निरस्तनीय करार देते हुए अपील निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार लालसोट का आदेश दिनांक 23.06.2017 अवैधानिक होने के कारण निरस्त फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 1 लगा0 3 द्वारा बहस के दौरान जवाब अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही है एवं रेस्पो0 सं0 1 शांति देवी द्वारा प्रश्नगत आदेश से संबंधित भूमि का विक्रय जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया गया है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 लगा0 3 द्वारा अपीलांटस की अपील खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रश्नगत संपरिवर्तन आदेश दिनांक 23.06.2017 से संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्रो निष्पादन दिनांक 30.06.2017 की प्रतिलिपियो का भी अवलोकन किया। पंजीबद्ध विक्रय पत्रो की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 शांति देवी द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.06.2017 से संबंधित कन्वर्टशुदा भूमि का विक्रय जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विभिन्न क्रेतागणों के हक में कर दिया गया है। अतः अब शीर्षक अपील बाबत प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.06.2017 का श्रवणाधिकार इस न्यायालय में निहित नहीं होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश अपील विरूद्ध तहसीलदार लालसोट आदेश दिनांक 23.06.2017 अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/2/20 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलक्टर
(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा